

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 17.09.2023

गैंग बनाकर लूट/छिनैती का अपराध कारित करने वाले 03 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक शाहपुर जनपद गोरखपुर द्वारा गैंग लीडर अभिषेक भारती पुत्र अमरजीत प्रसाद उर्फ पुत्तुर निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर व गैंग के 02 अन्य सदस्य (सहअभियुक्त) 1. अभियुक्त आदित्य वर्मा पुत्र शेषमणी वर्मा निवासी वार्ड नं0 11 हरिलाल चौक थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर 2. दीपक कुमार उर्फ दीपू उर्फ भोलू पुत्र नेबूल निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है। उक्त गैंग का लीडर अभिषेक भारती स्वयं है जो अपने गिरोह के 02 अन्य सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से लूट/छिनैती जैसे अपराध कारित किया गया है। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं लूट/छिनैती के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त कर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर अभिषेक भारती व गिरोह के 02 अन्य सदस्य के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 690/2023 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत मुकदमा

मु0अ0स0 690/2023 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

अपराधियों का नाम व पता

- 1.अभिषेक भारती पुत्र अमरजीत प्रसाद उर्फ पुत्तुर निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
2. आदित्य वर्मा पुत्र शेषमणी वर्मा निवासी वार्ड नं0 11 हरिलाल चौक थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. दीपक कुमार उर्फ दीपू उर्फ भोलू पुत्र नेबूल निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

अभिषेक भारती पुत्र अमरजीत प्रसाद उर्फ पुत्तुर निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

- i. मु0अ0स0 623/2022 धारा 392/411/413/414 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0स0 188/2022 धारा 392/411/413 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- iii. मु0अ0स0 297/2022 धारा 392/411 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- iv. मु0अ0स0 443/2022 धारा 392/411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- v. मु0अ0स0 496/2022 धारा 392/411/413 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- vi. मु0अ0स0 501/2022 धारा 392/411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- vii. मु0अ0स0 541/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

2.आदित्य वर्मा पुत्र शेषमणी वर्मा निवासी वार्ड नं0 11 हरिलाल चौक थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

- i. मु0अ0स0 496/2022 धारा 392/411/413 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0स0 623/2022 धारा 392/411/413/414 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- iii. मु0अ0स0 188/2022 धारा 392/411/413 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- iv. मु0अ0स0 297/2022 धारा 392/411 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ दीपू उर्फ भोलू पुत्र नेबूल का आपराधिक इतिहास

- i. मु0अ0स0 188/2022 धारा 392/411/413 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0स0 297/2022 धारा 392/411 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- iii. मु0अ0स0 443/2022 धारा 392/411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- iv. मु0अ0स0 496/2022 धारा 392/411/413 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- v. मु0अ0स0 501/2022 धारा 392/411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर